


# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के नियम 19 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार व्याख्याता स्कूल शिक्षा (वाणिज्य/इतिहास) को राज्य सेवा में/वर्तमान पद पर कॉलम संख्या 7 में अंकित निरन्तर संतोषजनक सेवावधि पूर्ण करने पर व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/लेखाधिकारी की अनुशंसा अनुसार उनके नाम के सामन कॉलम संख्या 10 में अंकित तिथि से आशवासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है

| क्र. सं. | नाम व्याख्याता मय पद स्थापन स्थान(राजमावि) सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती | विषय    | जन्मतिथि | प्रथम नियुक्ति तिथि | व्याख्यातामें चयन का प्रकार | स्वीकृत एसीपी I, II, III | वेतनग्रेड/पे मैट्रिक्स | स्वीकृत ग्रेड वेतन/पे मैट्रिक्स लेवल नं. | स्वीकृति तिथि |
|----------|--|---------|----------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|--|---------------|
| 1        | 2  | 3       | 4        | 5                   | 6                           | 7                        | 8                      | 9  | 10            |
| 1        | विष्णु कुमार शर्मा अलोद-बूंदी                                      | वाणिज्य | 18.11.68 | 08.03.90 अ.         | डीपीसी 17-18                | III 30 वर्ष              | पे-मेट्रिक्स           | L-13                                     | 08-03-2020    |
| 2        | जुगल किशोर सिरस्वा साहवा-चुरु                                      | इतिहास  | 10.02.65 | 02.07.90 व.अ.       | डीपीसी 13-14                | III 30 वर्ष              | पे-मेट्रिक्स           | L-14                                     | 02-07-2020    |

उपरोक्त व्याख्याता का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित व्याख्याता की सेवा-पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।

  
(सौरभ स्वामी)  
आई.ए.एस.  
निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/सी-2/वाणि-इति/एसीपी/ऑनलाईन/2020

दिनांक :- 05.10.2020

प्रति लिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

01-संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा,.....


02-संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मा0-1/II).....

03-सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय-हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ

04-संबंधित संस्था प्रधान राजमावि .....

05-संबंधित कार्मिक .....

06-निजी/रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर